क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक – 24 | दिसंबर 16-31, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-4

मानव अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा की 75वीं वर्षगांठ :

मानव अधिकारों की गारंटी के लिए पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था को ख़त्म करना होगा

मानव अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा (यू.डी.एच.आर.) को 75 साल पहले, 10 दिसंबर, 1948 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, 48 सदस्य देशों की मंजूरी के साथ, अपनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें 12 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे, की समाप्ति के तुरंत बाद इसे अपनाया गया था। वह ऐसा समय था जब दुनिया के लोग फासीवाद, साम्राज्यवादी युद्ध और उपनिवेशवादी गुलामी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तरस रहे थे।

आज, यूडीएचआर को अपनाने के 75 साल बाद, दुनिया के लोग, अमरीकी साम्राज्यवाद के पूर्ण राजनीतिक और सैन्य समर्थन के साथ, इजरायल द्वारा गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए जा रहे अमानवीय जनसंहार के गवाह हैं। लगभग दो महीनों में, महिलाओं, बच्चों, डॉक्टरों, राहतकर्मियों और मीडिया कर्मियों सहित लगभग 20,000 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई हजार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पतालों, आवासीय भवनों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण, वहां के पीड़ित लोग, शरणार्थियों के रूप में, एक ऐसे नरक में कैद हैं, जहाँ न तो कोई भोजन, पानी या चिकित्सा के साधन हैं और न ही लगातार बमबारी से बचने के लिए कोई जगह बाकी है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों द्वारा, इस जनसंहारक युद्ध को रोकने और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की बहाली की मांग करने वाले, रखे गए हर प्रस्ताव पर अमरीका और उसके पश्चिमी साम्राज्यवादी सहयोगियों ने सुनियोजित तरीके से उसके खिलाफ वोट डाला है।

अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आदि सहित, दुनिया भर में लाखों लोग, सड़कों पर उतरकर, बड़े-बड़े विरोध-प्रदर्शनों में, इस जनसंहार को खत्म करने और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने की मांग कर रहे हैं। दुनिया भर के लोगों के गुस्से और विरोध के बावजूद, अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके सहयोगी, इजरायल के विस्तारवादी मंसूबों और फिलीस्तीनी लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों को इनकार करने के इजरायल के इरादों को उचित ठहराते हुए और उनको पूर्ण समर्थन देते हुए, मानव अधिकारों के इस सबसे बर्बर और जबरदस्त उल्लंघन का समर्थन करते जा रहे हैं।

मानव अधिकारों का उल्लंघन – एक अपवाद नहीं, बल्कि एक सामान्य नियम

जब मानव अधिकारों की सर्वयापी घोषणा को अपनाया गया था, तो घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका के साम्राज्यवादी राज्य एक ऐसी कहानी पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए मानव अधिकारों का उल्लंघन एक अपवाद था। उन्होंने दावा किया कि चूंकि जर्मनी, इटली और जापान के फासीवादी समूह को हरा दिया गया है, इसलिए कोई फिर से मानव अधिकारों का उल्लंघन करने की जुर्रत नहीं करेगा। परन्तु, पिछले 75 वर्षों के जीवन के अनुभव ने इस हकीकत को बार-बार सामने लाया है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन कोई अपवाद नहीं था। ऐसा दावा करने वाली शक्तियों द्वारा ही बार-बार मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके सहयोगियों ने एक के बाद एक, हमलावर युद्ध छेड़े हैं, कई राष्ट्रों पर कब्जा किया है और उन्हें तबाह किया है तथा कई स्वतन्त्र देशों में शासन-परिवर्तन को अंजाम दिया है। उन्होंने "लोकतंत्र और मानव अधिकारों" को कायम रखने के नाम पर अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया और अनेक अन्य देशों की संप्रभुता का

शेष पृष्ठ 3 पर

बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 31 साल बाद :

हुक्मरान वर्ग की सांप्रदायिक राजनीति के ख़िलाफ़ जुझारू विरोध प्रदर्शन

6 दिसंबर, 2023 को हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने कई अन्य संगठनों के साथ मिलकर संसद के पास एक जुझारू विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये।

दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से कुछ मिनट पहले ही इस विरोध रैली को आयोजित करने की अनुमति वापस ले ली। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए आधिकारिक तौर पर घोषित स्थल – जंतर-मंतर – पर भारी बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी को प्रदर्शन स्थल तक आने से रोक दिया था। इस स्थिति में संसद मार्ग पर फ्लैश विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

इस प्रदर्शन की शुरुआत सांझे बैनर के साथ की गई। महिलाओं, नौजवानों और अन्य कामकाजी लोगों ने निडरता पूर्वक अपने प्लाकार्ड ऊंचे उठाये हुए थे। सड़क से गुजरते हुए, सैकड़ों कामकाजी लोगों ने खड़े होकर इस विरोध प्रदर्शन को देखा। दिल्ली पुलिस हैरान हो गई। जब तक रैपिड एक्शन फोर्स के सैकड़ों पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी विरोध स्थल पर पहुंचते, तब तक एक सफल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा चुका था।

प्रदर्शनकारियों ने विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमले की खुलकर निंदा की। विरोध प्रदर्शन की अनुमति रद्द करने के पीछे अधिकारियों ने जो प्रत्यक्ष कारण बताया, वह यह था कि विरोध प्रदर्शन से सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा होगा। यह सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है। यह हुक्मरान वर्ग और उसकी मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं जो लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

सच्चाई को प्रकट करना और सांप्रदायिक राजनीति के ख़िलाफ़ एकता बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी हर साल 6 दिसंबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में भाग लेती आई है।

विरोध प्रदर्शन के मुख्य बैनर पर लिखा था – "फ़िरक़ापरस्ती की राजनीति का विरोध करें!" और "एकता और अमन-चैन के लिए संघर्ष करें!"

प्रदर्शनकारियों ने लड़ाकू नारे लगाए – "बाबरी मस्जिद के विध्वंस के गुनहगारों को सज़ा दो!", "राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ एकजुट हों!", "लोगों को बांटने की राजनीति के ख़िलाफ़ एकजुट हों!", "राजकीय आतंकवाद मुर्दाबाद!", "राज्यकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट हों!", "यू.ए.पी.ए. रद्द करो!", "अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डालना और यातना देना बंद करो!", आदि।

प्रदर्शनकारियों ने 1992 में मस्जिद के विध्वंस के लिए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और यूपी की भाजपा सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर लोगों को विभाजित करने तथा सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार आयोजित करने के लिए के लिए हुक्मरान वर्ग और उसके राजनीतिक पार्टियों की निंदा की। उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति को हराने के

शेष पृष्ठ 2 पर

अंदर पढ़ें

- मजदूरों के शोषण पर आधारित पूंजीवादी विकास की रणनीति 2
- ब्रिटेन के मज़दूर इज़रायल को हथियारों की बिक्री के ख़िलाफ़ 3
- प्याज की अस्थिर कीमतें 3

2047 में हिन्दोस्तान :

मजदूरों के अत्यधिक शोषण पर आधारित पूंजीवादी विकास की रणनीति

विजन इंडिया/2047 नामक एक दस्तावेज पर नीति आयोग इन दिनों काम कर रहा है। यह एक लम्बे समय के लिए आर्थिक विकास की रणनीति है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह तक हिन्दोस्तान को एक ऊंची आमदनी वाले देश का दर्जा दिलाना है। नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, इसका लक्ष्य हिन्दोस्तान की जी.डी.पी. को 2047 में 3600 लाख करोड़ रुपये, और प्रति व्यक्ति आमदनी प्रति वर्ष 20 लाख रुपये से अधिक बना देना है।

औसत, या प्रति व्यक्ति आमदनी में अनुमानित वृद्धि इस हकीकत को छिपाती है कि पूंजीपति वर्ग के मुनाफों और मेहनतकशों की आमदनी के बीच में विशाल और लगातार बढ़ती खाई है। विकास की यह रणनीति मजदूरों और किसानों के असली जीवन स्तर को नजरंदाज करते हुए, सिर्फ औसत आमदनी बढ़ाने पर केंद्रित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य पूंजीपतियों की लालच को पूरा करना है।

इस दस्तावेज के पूरे हो जाने के बाद, इस रणनीति के मसौदे को प्रकाशन से पहले इजारेदार पूंजीपतियों के एक समूह के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। इस समूह में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, के.एम. बिड़ला, एन.चंद्रशेखरन (टाटा संस के सी.ई.ओ.), टिम कुक (एप्पल के सी.ई.ओ.), सुंदर पिचाई (गूगल के सी.ई.ओ.) और इंद्रा नूई (पेप्सिको के पूर्व सी.ई.ओ.) शामिल हैं। यह इस बात की फिर से पुष्टि करता है कि इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी अरबपतियों को और अधिक मालामाल बनाना है। यह दीर्घकालिक विकास रणनीति

सूचकांक	यूनिट्स	2030	2040	2047
वर्तमान दामों पर जीडीपी	खरब2 रु	609.04	1,759.79	3,604.94
वर्तमान दामों पर प्रतिव्यक्ति जीडीपी	रु.	4,02,008	10,93,037	24,84,812
निर्यात	खरब डॉलर	1.58	4.56	8.67
आयत	खरब डॉलर	1.88	5.92	12.12
निवेश	खरब रु	195.5	591.1	1,273.40
बचत	खरब रु	207.8	649.4	1,339.70

वास्तव में नीति आयोग द्वारा इजारेदार पूंजीपतियों के अनुरोध पर तैयार की जा रही है। विजन इंडिया/2047 हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग के दृष्टिकोण के अलावा और कुछ नहीं है।

विकास की इस रणनीति की एक खास विशेषता यह है कि हिन्दोस्तानी पूंजीपति अमरीका द्वारा चीन पर व्यापारिक हमले का फायदा उठाना चाहते हैं। अमरीकी सरकार हाल के वर्षों में चीन से आयात को रोक रही है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने माल की आपूर्ति के स्रोत को चीन से बाहर हटाने के लिए प्रेरित कर रही है। इन परिस्थितियों में, हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपति दुनिया में माल की सप्लाई चेन में पसंदीदा स्रोत बतौर, खुद चीन की जगह लेने का अच्छा अवसर देखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चीन के बजाय हिन्दोस्तान में अपना उत्पादन स्थापित करने के लिए आकर्षित करने में सफल होंगे।

अगले 25 वर्षों में निर्यात बहुत तेजी से बढ़ने का अनुमान है (तालिका 1)। देश के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे माल और पुर्जों पर निर्भर है। इसलिए निर्यात वृद्धि की उच्च दर के परिणामस्वरूप आयात में भी तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। निर्यात पर आयात की अधिकता 2030 में 0.3 ट्रिलियन1 डॉलर से बढ़कर 2047 में 2.5 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इस बढ़ते अंतर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ.पी.आई.), विदेशी कर्जों और विदेशों से देश में वापस भेजे गए धन के रूप में विदेशी पूंजी के निरंतर और बढ़ते प्रवाह की आवश्यकता होगी।

विदेशी इजारेदार कम्पनियां अपना निवेश चीन से हटाकर हिन्दोस्तान में तभी स्थानांतरित करेंगी जब वे चीन की तुलना में कम लागत पर उत्पादन करने और अधिक मुनाफा पाने में सक्षम होंगी। इसका तात्पर्य यह है कि हिन्दोस्तान को मजदूरों को कम वेतन देना पड़ेगा, लंबे समय तक काम करवाना पड़ेगा और पूंजीपतियों को अपनी इच्छानुसार मजदूरों को काम पर रखने और निकालने की ज्यादा से ज्यादा छूट देनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, विदेशी पूंजी प्रवाह में जबरदस्त वृद्धि हासिल करने की कुंजी हिन्दोस्तानी मजदूरों के शोषण को और अधिक तीव्र करने में है।

यह याद रखा जाना चाहिए कि इस साल कर्नाटक में पास किया गया, फैक्ट्रियों में 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति देने वाले फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन, ताइवान की इजारेदार कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा की गई मांगों को पूरा करने के लिए किया गया था। यह फॉक्सकॉन कंपनी द्वारा मोबाइल फोन और अन्य एप्पल उत्पादों के उत्पादन को चीन से कर्नाटक तक स्थानांतरित करने की शर्त थी। इसी तरह का एक संशोधन तमिलनाडु में भी लागू किया गया था, लेकिन उस राज्य में मजदूर संघों के कड़े विरोध के बाद उसे वापस ले लिया गया था।

हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपति पहले से ही नियमित मजदूरों की जगह पर, ठेके पर मजदूरों से काम करवाने का व्यापक अभ्यास कर रहे हैं। वे ऐसा करके दो उद्देश्यों को हासिल करना चाहते हैं दृ पहला, अपने मुनाफों और प्रतिस्पर्धा की शक्ति को बढ़ानाय दूसरा, मजदूर वर्ग की लड़ने की क्षमता को कमजोर करना।

इजारेदार पूंजीपतियों ने मीडिया में इस विचार पर बहस शुरू कर दी है कि 2047 तक हिन्दोस्तान को एक विकसित देश बनाने के लिए मजदूरों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए।

विजन इंडिया/2047 हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग के साम्राज्यवादी उद्देश्यों की सेवा में है। हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों का लक्ष्य मजदूर वर्ग के शोषण और किसानों व अन्य छोटे उत्पादकों की लूट को और तेज करके, एक बड़ी वैश्विक शक्ति बनना है। सब के लिए खुशहाली सुनिश्चित करना तो दूर, यह एक ऐसा मार्ग है जो अवश्य ही मजदूरों और किसानों के जीवन में और अधिक अस्थिरता लायेगा। यह देश को खतरनाक हद तक विदेशी पूंजी पर निर्भर बना देगा। इसका अर्थ है धन और इजारेदार शक्ति का और भी अधिक संकेन्द्रण। इसका

शेष पृष्ठ 4 पर

मानव अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा की 75वीं वर्षगांठ :

पृष्ठ 1 का शेष

खुलेआम उल्लंघन किया है। लाखों लोगों को शरणार्थी बना दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में, इस समय, 11.4 करोड़ से भी अधिक लोग विस्थापित शरणार्थियों के रूप में जबरन बेघर किये गए हैं। 3.5 करोड़ से अधिक शरणार्थी अपने देश से भागकर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं।

विभिन्न देशों की भूमि, श्रम और कीमती खनिज संसाधनों की साम्राज्यवादी लूट, इन देशों में गृह–युद्धों को आयोजित किया जाना, साथ ही इन देशों पर कब्जा करने के उद्देश्य से किये गए युद्ध दृ ये सब इन दर्दनाक हालातों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन, अमरीका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में शरण लेने के इच्छुक लोगों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अमरीका–मैक्सिको सीमा पर, अमरीका में शरण की मांग वाले लोगों पर क्रूर हमला किया जाता है और उन्हें जानवरों की तरह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार इस समय, ब्रिटेन में शरण लेने के इच्छुक लोगों को, पूर्वी अफ्रीका के रवांडा देश में निर्वासित करने के लिए, एक कानून पर विचार कर रही है। रवांडा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा तबाह किया गया, एक छोटा गरीब देश है।

यूरोप और उत्तरी अमरीका के तथाकथित लोकतांत्रिक देशों में, वहां के शासक, प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ, सुनियोजित तरीके से नस्लवादी और फासीवादी हमले आयोजित करते हैं। राज्य की आलोचना करने वाले और अपने अधिकारों की मांग करने का साहस करने वाले लोगों को फासीवादी कानूनों के तहत जेल में कैद किया जाता है। उन देशों में बेरोजगारी, गरीबी और बेघर लोगो की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस से उस झूठ का लगातार पर्दाफाश हो रहा है कि उन तथाकथित उन्नत समाजों के सभी सदस्यों को इंसान लायक जीवन जीने का अवसर मिलता है।

हिन्दोस्तान भी मानव अधिकारों की सर्वयापी घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है। लेकिन, हिन्दोस्तानी राज्य करोड़ों मेहनतकश लोगों के सुरक्षित रोजगार तथा इज्जतदार इंसानी जीवन जीने लायक वेतन के अधिकार की हिफाजत नहीं करता है। हिन्दोस्तानी राज्य लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्याप्त पोषण के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। हिन्दोस्तानी राज्य धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव और हिंसा से लोगों को नहीं बचाता है। हिन्दोस्तानी राज्य लोगों के जमीर के अधिकार और यहां तक कि उनके जीने के अधिकार की भी हिफाजत नहीं करता है।

मानव अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं

समाज में जन्म लेने वाले सभी इंसानों को इस समाज का सदस्य होने के नाते, कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। समाज की प्रगति के स्तर के अनुसार, मानव अधिकारों की परिभाषा लगातार विकसित और उन्नत होती रही है। पर्याप्त और पौष्टिक भोजन, कपड़े और आवास के अलावा, इनमें सुरक्षित रोजगार का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अधिकार और इस दिन व युग में इज्जतदार इंसानी जीवन जीने लायक वेतन पाने का अधिकार भी शामिल हैं।

हमारे देश और दुनिया भर में, उत्पादक शक्तियों के अपार विकास की वजह से, समाज के हर सदस्य को मानव अधिकारों की गारंटी देने की हालतें पैदा हो गयी हैं। इस सम्भावना को हकीकत में बदलने के रास्ते में रोड़ा है वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना, पूंजीवादी शोषण और साम्राज्यवादी लूट के चलते मुमकिन नहीं है। आज दुनिया में मानव अधिकारों को हकीकत में सुनिश्चित करने के लिए, अमरीकी साम्राज्यवाद और अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों को अपनी लूट–खसोट को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों पर हमला करने और उन पर अपनी आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था को थोपने के "अधिकार" से वंचित करना होगा। प्रत्येक देश के लोगों को साम्राज्यवादी हस्तक्षेप और हमलावर युद्धों से मुक्त होकर, अपनी पसंद की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए।

मानव अधिकारों को हकीकत में सुनिश्चित करने के लिए, इजारेदार पूंजीपतियों को मजदूर वर्ग, किसानों और अन्य मेहनतकश लोगों के शोषण और हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट के जरिये अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के ''अधिकार'' से वंचित करना होगा।

पूंजीवादी शोषण को खत्म करके और देश के विशाल संसाधनों को मेहनतकश लोगों के हाथों में लाकर ही, समाज अपने सभी सदस्यों की मांगों को पूरा कर सकता है। केवल ऐसे समाज में ही मानव अधिकारों की आधुनिक परिभाषा की पुष्टि की जा सकती है, जो अधिकार समाज के सभी सदस्यों के लिए सर्वव्यापी हों और जिनका उल्लंघन किसी भी बहाने या किसी भी हालत में न हो सके।

आइए, हम प्रत्येक देश में और विश्व स्तर पर, पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था को आधुनिक समाजवादी व्यवस्था में बदलने के दृष्टिकोण के साथ, समाज के हर सदस्य के मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं।

http://hindi.cgpi.org/24420

ब्रिटेन के मज़दूर इज़रायल को हथियारों की बिक्री के ख़िलाफ़ खड़े हैं

ब्रिटेन की बी.ए.ई. सिस्टम्स कंपनी में काम करने वाले मज़दूर नवंबर से अपनी कंपनी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बी.ए.ई. सिस्टम्स कंपनी तकनीकी तौर पर परिष्कृत आधुनिक हथियार बनाती है जिनका निर्यात इज़रायल को हो रहा है। दुनियाभर में लाखों लोग इज़रायल द्वारा गाज़ा में निहत्थे लोगों पर हो रहे जनसंहारी बमबारी का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन के मज़दूरों और अन्य लोगों ने बार–बार लाखों की संख्या में इज़रायली जनसंहार के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किये हैं। अपनी कंपनी के फाटक पर धरना दे कर, बी.ए.ई. सिस्टम्स के मज़दूर, इज़रायली जनसंहारी बमबारी के ख़िलाफ़ जनविरोध में बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ग्लासगो और गोवन में स्थित कंपनी के कारखानों के फाटक के सामने नाकाबंदी कर दी है। उनकी मांग है कि बी.ए.ई. सिस्टम्स कंपनी इज़रायल से पूरी तरह से नाता तोड़ दे क्योंकि इज़रायली राज्य गाज़ा पर बमबारी करके बच्चों व महिलाओं सहित निहत्थे लोगों का क़त्ल कर रहा है। वे ब्रिटिश सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि सरकार गाज़ा में स्थाई युद्धविराम की मांग का और फ़िलिस्तीन पर इज़रायली कब्जे को ख़त्म करने की मांगों का समर्थन करे।

ब्रिटेन में दूसरे हथियार निर्माताओं के कारखानों के बाहर भी मज़दूर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक़्त ऐसा बोर्नमथ, लंकाशायर और ब्राईटन में स्थित तीन आयुध कंपनियों के बाहर हो रहा है। ब्रिटिश मज़दूर एक संगठन के तहत एकजुट हुए हैं जिसका नाम "वर्कर्स फॉर फ्री पेलेस्टाइन" (आज़ाद फ़िलिस्तीन के समर्थन में मज़दूर)। यह संगठन न केवल ब्रिटेन में बल्कि पूरे यूरोप में मज़दूरों से चर्चा कर

रहा है और उन्हें समझा रहा है कि मज़दूरों को निर्दोष लोगों की हत्याओं के सिलसिले से अपने आप को अलग करना चाहिये। मज़दूर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जनसंहार चल रहा है उसके लिये मज़दूर ज़िम्मेदार नहीं माने जा सकते है। बल्कि उसके लिये आयुध कंपनियों के प्रबंधन ज़िम्मेदार हैं जो यह तय करते हैं कि क्या बनाया जायेगा और क्या इज़रायल को बेचा जायेगा। यह संगठन मज़दूरों से यह भी अपील कर रहा है कि उन्हें अपनी–अपनी यूनियनों में यह मांग उठानी चाहिये कि वे भी इज़रायल द्वारा गाज़ा में की जानी वाली कार्यवाईयों से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करने से इनकार करें।

स्कॉटलैंड में इज़रायल को हथियार निर्यात करने वाली कंपनियों को 2016 और 2020 के बीच दिये एक करोड़ ब्रिटिश पौंड (105 करोड़ रुपये) के सरकारी अनुदान के बारे में मज़दूर संगठनों ने प्रश्न उठाये हैं। ऐसा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के नाम पर किया जा रहा है। इस अनुदान में से 16.8 करोड़ रुपये बी.ए.ई. सिस्टम्स कंपनी को दिये गये हैं। मज़दूर मांग कर रहे हैं कि सरकारी अनुदान का उपयोग लोगों के भले में होना चाहिये, न कि लोगों को मारने के लिये। वे कह रहे हैं कि गाज़ा में हो रहे जनसंहार से बी.ए.ई. सिस्टम्स कंपनी द्वारा मुनाफ़ा कमाना ग़लत है; कि वे कंपनी के प्रबंधन को मौत के सिलसिले के लिये ज़िम्मेदार ठहराते हैं। बी.ए.ई. सिस्टम्स कंपनी इज़रायल को लड़ाकू हवाई जहाज और एम.के. 38 मोड 2 मशीन गन की आपूर्ति कर रही है। ब्रिटेन में मज़दूरों के विरोध प्रदर्शनों की सहानुभूति में फ्रांस, डेनमार्क और नीदरलैंड में भी मज़दूर प्रदर्शन कर रहे हैं।

फ़िलिस्तीनी ट्रेड यूनियनों ने ब्रिटेन व यूरोप के मज़दूरों द्वारा इज़रायल के ख़िलाफ़ खड़े होने को सलाम किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है, "आज ब्रिटेन में चार कंपनियों में चक्का जाम और उसी वक़्त यूरोप में अनेक नाकाबंदियों के जरिये यह अभिव्यक्ति की गयी है कि इज़रायल द्वारा लगातार गाज़ा में बमबारी व हो रहे जनसंहार के दौरान सामान्य व्यवसाय नहीं हो सकता"।

अमरीका में सान डियेगो में स्थित नोर्थ्रोप ग्रूमन जैसी हथियार निर्माता कंपनियों के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी इज़रायल को हथियारों की बिक्री का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि गाज़ा में हो रहा जनसंहार को तुरंत रोकना होगा।

दुनियाभर के मज़दूरों के इज़रायली बमबारी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं कि मज़दूर वर्ग दुनियाभर में जनसंहार और अन्यायों का विरोध कर रहा है।

http://hindi.cgpi.org/24414

प्याज की अस्थिर कीमतों से किसानों व उपभोक्ताओं को नुक़सान

महाराष्ट्र में प्याज किसानों ने 8 दिसंबर को मुंबई–आगरा हाईवे जाम कर दिया। उन्होंने लासलगांव, चंदवाड, नंदगांव और नासिक जिले के अन्य स्थानों के प्याज बाजारों में नीलामी रोक दी। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल प्याज उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत पैदा करता है।

केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इसके विरोध में महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने अपना आंदोलन किया था। निर्यात पर प्रतिबन्ध के कारण, किसानों को उनकी उपज के लिए मिलने वाली कीमत में गिरावट आई है। एक बार फिर, किसानों को बड़े नुक़सान की आशंका सता रही है। पिछला साल प्याज किसानों के लिए बहुत बुरा साल रहा, जिसमें अधिकांश किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था।

मार्च–अप्रैल 2023 में नासिक और महाराष्ट्र के अन्य प्याज उत्पादक जिलों में प्याज किसानों को 600–700 रुपये प्रति क्विंटल और यहां तक कि कुछ दिनों तक 100–200 रुपये प्रति क्विंटल तक कम कीमतों का सामना करना पड़ा था।

रबी की अच्छी फसल के कारण मार्च–अप्रैल में थोक बाजार में प्याज की कीमतें गिर गईं, क्योंकि बाज़ार में भरपूर प्याज थे। अधिकतर किसानों के पास अपनी फ़सल को जमा करके रखने की वित्तीय क्षमता नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में वे बर्बाद हो जाते हैं। नासिक में किसान अपनी उपज को बाज़ार तक लाने के लिए परिवहन पर खर्च करने के बजाय अपनी प्याज की फसल को जला रहे थे। वे मांग कर रहे थे कि सरकार उनकी उपज 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदे। परन्तु, जब किसान बहुत कम कीमतों के कारण बर्बाद हो रहे थे, तो थोक विक्रेताओं और व्यापारियों के सिलसिले से गुज़रते हुए प्याज की कीमत इतनी बढ़ गयी कि अंततः उपभोक्ताओं ने किसानों को मिलने वाली कीमत से लगभग 65: अधिक कीमत पर प्याज खरीदा।

जिन बड़े व्यापारियों ने मार्च से जून तक किसानों से प्याज खरीदा था, उनके पास प्याज का बहुत बड़ा भण्डार था और वे निर्यात और घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों से मुनाफा कमा रहे थे। 24–31 जुलाई वाले हफ्ते में प्याज का थोक भाव 1161 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। एक महीने बाद यह 60: बढ़कर 1,819 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के नाम पर 19 अगस्त को प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगा दिया।

निर्यात शुल्क के बावजूद, अक्तूबर में प्याज की खुदरा कीमत फिर से बढ़ने लगी। 25 अक्टूबर को यह 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गयी और नवंबर में बढ़कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गयी। 8 दिसंबर को, सरकार ने मार्च 2024 तक निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। देश भर में प्याज की कीमतें अभी भी ऊंची हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिसंबर के पहले सप्ताह में खुदरा कीमत 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच थी।

आलू और टमाटर की तरह, प्याज की कीमतें साल भर बहुत अस्थिर रहती हैं। फसल के तुरंत बाद कीमतें उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं और कुछ महीनों के बाद तेजी से बढ़ जाती हैं।

प्याज की कीमतों में उतार–चढ़ाव न तो किसानों के हित में है और न ही शहरों की मेहनतकश आबादी के हित में है। मुख्य तौर पर, पूंजीवादी व्यापारी ही इस तरह की कीमतों में उतार–चढ़ाव से मुनाफ़ा बनाते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन और भण्डारण के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। क़ीमत कम होने पर वे जमाखोरी करते हैं और उसके बाद, दोनों निर्यात और घरेलू बाजारों में उसे ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफ़े बनाते हैं।

मज़दूरों और किसानों की यह लंबे समय से मांग रही है कि सरकार और उसकी एजेंसियों को सभी कृषि उपज की खरीद की गारंटी ऐसी कीमत पर देनी चाहिए, जिससे किसान को उसकी लागत पर उचित आमदनी मिले, बजाय इसके कि खरीदी की कीमत तय करने का काम थोक व्यापारियों पर छोड़ दिया जाए। अतिरिक्त उत्पादन को खरीदकर उसका भण्डारण और रखरखाव करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को इस जमा उपज का इस्तेमाल करके, खुदरा बाज़ार में सस्ती कीमतों पर उपज को मुहैया कराना चाहिए। सरकार को विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी निजी व्यक्ति या कंपनी को निर्यात करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने पर ही घरेलू बाज़ार में भारी कमी और अचानक निर्यात प्रतिबंध लगाये जाने से बचना संभव है।

कृषि क़ीमतों में भारी मौसमी बदलाव से पूंजीपतियों को ही फायदा होता है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मज़दूरों और किसानों की इन मांगों को पूरा करने से इनकार करना, यह दर्शाता है कि वे पूंजीपतियों के हितों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

http://hindi.cgpi.org/24422

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911

वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998, email: mazdoorektalehar@gmail.com

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Dec, 2023, Date of publish - 16 Dec, 2023

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

दिल्ली के मज़दूर संगठनों ने बहादुर रैट माइनर मज़दूरों को सम्मानित किया

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

10 दिसम्बर, 2023 को दिल्ली की ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने एक समारोह में उन 12 रैट माइनर मजदूरों को सम्मानित किया, जिन्होंने सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का साहसिक काम किया था।

समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों व ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया । 12 रैट माइनर मजदूर मंच पर उपस्थित थे।

ये मजदूर दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी हैं। दिल्ली में रहने वाले मजदूरों ने बताया कि वे दिल्ली जल बोर्ड के विभिन्न अंडरग्राउंड पाईप डालने की परियोजनाओं में कई सालों से कार्य करते रहे हैं। वे बहुत ही गरीब, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो काम मिलने पर महीने में मुश्किल से चार–पांच हजार रुपये कमा पाते हैं। अक्सर किसी निर्माण परियोजना में उन्हें काम नहीं मिलता है, तो वे बेलदार या दूसरे छोटे–मोटे काम करके गुजारा करते हैं। उनकी जिन्दगी की हालतें बहुत ही कठिन हैं, और उनके बच्चों व परिजनों का भविष्य अंधकारमय है । ।

गौरतलब है कि 2014 में सरकार के नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रैट माइनिंग, या रैट होल माइनिंग, को बेहद खतरनाक बताते हुए, उस पर बैन लगा दी थी। पर इसके बावजूद, देश के कई इलाकों में यह जोखिम भरा काम राज्य प्रशासन की पूरी जानकारी के साथ, चलता रहता है । निजी ठेकेदार कंपनियों के अलावा, दिल्ली जल बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं में भी इन मजदूरों से ठेके पर काम करवाया जाता है।

ऐसे समय पर जब टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में निर्माण कंपनी व कई देशी–विदेशी एक्सपर्ट असफल रहे, तब राज्य प्रशासन ने इन रैट माईनर मजदूरों को सम्पर्क किया था।

रैट माइनर मजदूरों को जब प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया जा रहा था तो पूरा समारोह तालियों से गूंज उठा।

नारे लगे – 'कौन बनाता हिन्दोस्तान, देश का मजदूर किसान!', 'इंकलाब जिंदाबाद!'। सम्मानित किये गए रैट माइनर मजदूर थे –– वकील हसन, मुन्ना कुरैशी , मोनु कुमार, इर्शाद , फिरोज कुरैशी, नसीम मलिक, नसीर खान, जतीन कुमार, देवेन्द्र, सौरभ, अंकुर, और राशिद अंसारी।

रैट माइनर मजदूरों ने बचाव कार्य को करने में आई मुश्किलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें बेइंतहा खुशी और गर्व है कि हम इस मुश्किल काम में योगदान कर पाए और खुदाई करके टनल में फंसे मजदूरों को बचा सके। यह बचाव कार्य हम सभी मजदूरों की एकजुट कार्यवाही का परिणाम है।

आयोजक संगठनों के प्रतिनिधियों ने समारोह को संबोधित किया । उन्होंने बताया कि उतराखंड में चार धाम को आपस में जोड़ने के लिए आल वेदर रोड का निर्माण कार्य वर्ष 2018 से चल रहा है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने यह कार्य एक निजी कंपनी को ठेका पर दिया हुआ है। इस दुर्घटना से स्पष्ट हो जाता है कि इस टनल के निर्माण के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से उचित मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है।

वक्ताओं ने समझाया कि हिमालय क्षेत्र में एक लंबा सुरंग बनाने का कार्य अत्यंत जोखिम भरा काम है। भारी निर्माण कार्य के लिए यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। पूंजीवादी मुनाफे की भूख के चलते, इस क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी वजह से कई बड़ी व छोटी दुर्घटनाएं हुयी हैं और काफी जान–माल का नुकसान भी हुआ है।

कई तथ्य सामने लाये गए जिनसे साबित होता है कि ठेकेदार कम्पनी निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न आवश्यक नियमों एवं प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। जैसे कि, सिल्कयारा टनल में चल रहे कार्य के दौरान आपात स्थिति में मजदूरों के बचने के लिए कोई वैकल्पिक रूट नहीं बनाया गया था, जो कि टनल में काम के दौरान अनिवार्य होता है। इस कारण 12 नवम्बर, 2023 को यह दुर्घटना घटी थी और 41 निर्माण मजदूर टनल में 17 दिनों तक फंसे रहे।

सभी वक्ताओं ने मजदूरों के काम की खतरनाक परिस्थितियों व सुरक्षा मापदंडों के उल्लंघन की निंदा की। उन्होंने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा के मापदंडों का न सिर्फ निजी क्षेत्र में बल्कि सरकारी निर्माण परियोजनाओं में भी उल्लंघन होता है, जिसके चलतेआए दिन बड़ी–बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं ।

इस बात पर ध्यान दिलाया गया कि जब बड़ी–बड़ी मशीनें फैल हो गयीं थीं, तो ऐसे समय पर इन 12 रैट माईनर मजदूरों ने अपने शारीरिक बल का प्रयोग करके और अपनी जानों को जोखिम में डालकर, टनल में फंसे सभी 41 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस में इन मजदूरों ने बेमिसाल साहस दिखाया। वक्ताओं ने इस पर जोर दिया कि मजदूर ही मशीनों को बनाते और चलाते हैं। जब मशीन काम करना बंद कर देती है, तो मजदूर ही आगे का रास्ता खोलते हैं। इसलिए, मजदूरों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना समाज का सर्वप्रथम दायित्व है। ऐसा न करना राज्य का घोर अपराध माना जाना चाहिए ।

वक्ताओं ने मांग की कि इस दुर्घटना के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के आला अधिकारियों तथा ठेका कंपनी के अधिकारीयों को सजा दी जानी चाहिए।

दिल्ली संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच की ओर से दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री से मांग की गई कि इन सभी 12 रैट माइनर मजदूरों को इनके साहस पूर्ण कार्य के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए। इन रैट माइनर मजदूरों, जो इस समय ठेके पर काम कर रहे हैं, का तुरंत पंजीकरण किया जाये। सभी ठेके पर काम करने वाले व अनियमित निर्माण मजदूरों का पंजीकरण किया जाये तथा उन सब को सामाजिक सुरक्षा व अन्य हित लाभ उपलब्ध कराये जाएँ। इसके साथ–साथ, दिल्ली में चल रही सभी निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाए।

समारोह को संबोधित करने वालों में थे – एटक से सू कुमार दामले, एचएमएस से राजेन्द्र सिंह, सीटू से तपन सेन, मजदूर एकता कमेटी से संतोष कुमार, यूटीयूसी से शत्रुजीत, सेवा से लता, एलपीएफ से मोर्या, एआईसीसीटीयू से सुचेता डे, आईसीटीयू से नरेन्द्र, आईएफटीयू से डा. अनिमेश दास, इंटक से ओंकार सिंह तोमर और जन विज्ञान आंदोलन से रघुनंदन।

http://hindi.cgpi.org/24393

बाबरी मस्जिद विध्वंस पर प्रदर्शन

पृष्ठ 1 का शेष

लिए लोगों की एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अलावा, विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले अन्य संगठनों में शामिल थे – लोक राज संगठन, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, लोक पक्ष, जमात–ए–इस्लामी हिंद, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट, वूमेन इंडिया मूवमेंट, फ्रेटरनिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया, पुरोगामी महिला संगठन, किसान मजदूर महासभा, सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया, सेवा और मजदूर एकता कमेटी।

हिन्दोस्तान के लोग राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और हर प्रकार के राज्यकीय आतंकवाद को खत्म करने के लिए संघर्ष में प्रतिबद्ध हैं। इस लक्ष्य के लिए वे एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 31वीं बरसी के अवसर पर आयोजित विरोध रैली में यही संदेश गुंज रहा है।

http://hindi.cgpi.org/24405

2047 में हिन्दोस्तान ...

पृष्ठ 2 का शेष

मतलब मेहनतकश लोगों के अधिकारों पर और भी अधिक क्रूर हमले हैं।

मजदूरों और किसानों को अपने स्वयं के स्वतंत्र कार्यक्रम के तहत एकजुट होना होगा, जिसका उद्देश्य है कि पूंजीपति वर्ग के स्थान पर मजदूर–किसान को खुद देश का हुक्मरान बनना होगा। मजदूरों और किसानों की हुकूमत के तहत, संविधान रोजीरोटी के अधिकार और सभी मानवाधिकारों की गारंटी देगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन के साधनों को सामाजिक संपत्ति में बदल दिया जाएगा और अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी लालच को पूरा करने की दिशा से मोड़कर, लोगों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में चलाया जाएगा।

http://hindi.cgpi.org/24411

मज़दूर एकता लहर
(इंटरनेट संस्करण)
हिन्दी : www.hindi.cgpi.org
अंग्रेजी : www.cgpi.org
मराठी : www.marathi.cgpi.org
पंजाबी : www.punjabi.cgpi.org
तामिल : www.tamil.cgpi.org